

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2009

**सं. एल-1(2)/2009-सीईआरसी.**—केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा इस निमित्त सभी अन्य सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (जिसे इसमें इसके पश्चात् “आईईजीसी” कहा गया है) का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

**1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ-(1)** इन संशोधनों का संक्षिप्त नाम भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (संशोधन) विनियम, 2009 है।

(2) ये संशोधन 1.4.2009 से प्रवृत्त होंगे।

**2. अध्याय 1, खंड 1.2 का संशोधन**

अध्याय 1 में खंड 1.2 के दूसरे पैरा के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:

“मितव्यी तथा विश्वसनीय राष्ट्रीय प्रादेशिक ग्रिड के प्रचालन, रखरखाव, विकास तथा योजना का सरलीकरण करना।”

**3. अध्याय 1, खंड 1.4 (v) का संशोधन**

अध्याय 1 के खंड 1.4 (v) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:

**‘अनुसूचीकरण तथा प्रेषण संहिता**

यह खंड आईएसजीएस, राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र (एनएलडीसी), प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र (आरएलडीसी) तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्रों (एसएलडीसी) तथा अन्य प्रादेशिक इकाइयों के बीच जानकारी देने की पद्धति के दैनिक आधार पर अन्तर-राज्यिक उत्पादन केन्द्रों (आईएसजीएस), जिसमें कंप्लीमेंटरी वाणिज्यिक तंत्र भी सम्मिलित है, के उत्पादन का अनुसूचीकरण तथा प्रेषण करने के लिए प्रक्रिया से संबंधित है।

**4. अध्याय 1, खंड 1.5 का संशोधन**

(i) खंड 1.5 के पहले वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :

“किसी संघटक या अभिकरण (आरपीसी, एनएलडीसी तथा आरएलडीसी) से भिन्न द्वारा आईईजीसी के किसी भी अनुबंध का लगातार अननुपालन की दशा में, मामले को किसी भी अभिकरण/आरएलडीसी द्वारा सदस्य-सचिव आर पी सी को रिपोर्ट किया जाएगा।”

(ii) खंड 1.5 के पहले वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:

“एनएलडीसी, आरएलडीसी तथा आरपीसी द्वारा आईईजीसी के किसी भी अनुबंध के अननुपालन की दशा में, मामले को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग को रिपोर्ट किया जाएगा।”

## 5. अध्याय 1, खंड 1.9 का संशोधन

अध्याय 1, खंड 1.9 में निम्नलिखित परिमाधाए अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“सामूहिक राष्ट्रवहार

“सामूहिक राष्ट्रवहार” से क्रेता तथा विक्रेता द्वारा अनाम, रामकालिक प्रतिसर्धा ऊर्जा के माध्यम से पावर एक्सचेंज में किए गए संव्यवहारों का एक सेट अभिप्रेत है;

राष्ट्रीय ग्रिड

“राष्ट्रीय ग्रिड” से देश का संपूर्ण अंतर-संयोजित विद्युत ऊर्जा नेटवर्क अभिप्रेत है;

एनएलडीसी

“राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र” से अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित केन्द्र अभिप्रेत है;

पावर एक्सचेंज

“पावर एक्सचेंज” से केविविआ के पूर्व अनुमोदन से स्थापित पावर एक्सचेंज अभिप्रेत है;

क्षेत्रीय इकाइयां

“क्षेत्रीय इकाई” से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिसकी मीटिंग तथा ऊर्जा का लेखांकन क्षेत्रीय स्तर पर किया जाता है।

अंतरण क्षमता

पारेषण प्रणाली की ‘अंतरण क्षमता’ अंतरण विद्युत ऊर्जा की योग्यता है जब इसका प्रचालन अंतर-संयोजित ऊर्जा प्रणाली के योग के रूप में किया जाता है तथा ग्रिड के सुरक्षा पहलुओं पर विचार करने वाली प्रणाली की भौतिक तथा विद्युत पिशेषताएं द्वारा सीमित हैं।”

**6. अध्याय 2, खंड 2.1 का संशोधन**

- (i) खंड 2.1.1 में 'प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्रों' शब्दों से पूर्व राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र (एनएलडीसी), शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे।
  - (ii) खंड 2.2 का शीर्षक निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाएगा:
- "एनएलडीसी तथा आरएलडीसी की भूमिका"**
- (iii) खंड 2.2 के अधीन, उपखंड 2.2.1 से पूर्व एक नया उपखंड अंतः स्थापित किया जाएगा:

**"2.2.1(क) अधिनियम की धारा 26 (2) के अनुसार ऊर्जा मंत्रालय ने तारीख 2 मार्च, 2005 की अधिसूचना द्वारा एनएलडीसी के निम्नलिखित कृत्य विहित किए हैं :**

- (क) प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्रों का पर्यवेक्षण;
- (ख) प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड मानकों तथा प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र के समन्वय से केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड कोड के अनुसार अन्तर-प्रादेशिक लिंकों अनुसूचीकरण तथा प्रेषण;
- (ग) राष्ट्रीय ग्रिड के प्रचालन में अधिकतम मितव्ययता तथा दक्षता प्राप्त करने के लिए प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्रों के साथ समन्वय;
- (घ) राष्ट्रीय ग्रिड के प्रचालनों तथा ग्रिड सुरक्षा की मानीटरिंग ;
- (ङ) अन्तर-प्रादेशिक लिंकों का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण जो उसके नियंत्रणाधीन ऊर्जा प्रणाली के स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित होगा;
- (च) ऊर्जा संसाधनों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय परिषेक्ष्य में प्रादेशिक आउटेज अनुसूची के लिए प्रादेशिक ऊर्जा समिति के साथ समन्वय;
- (छ) ऊर्जा के अंतर-प्रादेशिक विनियम के ऊर्जा लेखांकन के लिए प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्रों के साथ समन्वय;
- (ज) प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र के साथ राष्ट्रीय ग्रिड के समकालिक प्रचालन के पुनःप्रचलन के प्रतिस्थापन के लिए समन्वय ;
- (झ) ट्रांस-नेशनल पावर एक्सचेंज के लिए समन्वय ;
- (ञ) प्राधिकरण तथा केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता को राष्ट्रीय ग्रिड योजना के लिए प्रचालनात्मक फीड बैंक देना;

- (ट) ऐसी उत्पादन कंपनियों या अनुज्ञाप्रिधारियों, जो ऊर्जा प्रणाली में अंतर्वलित हैं, से ऐसी फीस तथा प्रभारों का उद्ग्रहण तथा संग्रहण, जो केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए;
  - (ठ) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी विनियमों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए निदेशों के अनुसार पारेषण प्रणाली के प्रचालन से संबंधित जानकारी देना।
- (iv) विद्यमान खंड 2.2.1 को 2.2.21 (ख) के रूप में पुनःसंख्याकित किया जाएगा।

#### 6क. अध्याय 2, खंड 2.2.2 का संशोधन

खंड 2.2.2 का उपखंड (6) निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाएगा:

‘प्रादेशिक यूआई पूल खाता तथा प्रादेशिक रिएक्टिव ऊर्जा खातों का प्रचालन, परंतु यह कि ऐसा कृत्य आरएलडीसी से भिन्न किसी इकाई द्वारा आरंभ किया जाएगा यदि केविविआ ऐसा निदेश दे।’

#### 7. अध्याय 4, खंड 4.1 का संशोधन

(क) अध्याय 4, खंड 4.1 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :—

‘प्रस्तावना

सीटीयू और उससे संशक्त किसी अभिकरण या आईएसटीसी का कनेक्शन चाहने वाले अभिकरण केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड की संयोजिकता के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2007 का पालन करेंगे। इस अध्याय में पश्चातवर्ती खंडों में दी गई संयोजन शर्तें न्यूनतम तकनीकी तथा डिजाइन मानदंड विनिर्दिष्ट करते हैं जिसका अनुपालन सीटीयू तथा उससे संशक्त अभिकरण या आईएसटीएस का संयोजन चाहने वाले अभिकरण द्वारा किया जाएगा। वे ऐसी प्रक्रियाएं भी विहित करते हैं जिसके द्वारा अभिकरण संयोजन स्थापित करने के लिए यथा पूर्व-अध्येक्षित उपरोक्त मानदंडों से किसी अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करेगा।’

#### 8. अध्याय 5, खंड 5.2 का संशोधन

- (क) अध्याय 5 के खंड 5.2 के उपखंड (i) में “49.0 एचज्येड” अंकों तथा शब्दों के स्थान पर “49.2 एचज्येड” अंक तथा शब्द रखे जाएंगे।
- (ख) अध्याय 5 के खंड 5.2 के उपखंड (i) में “49.0-50.5 एचज्येड” अंकों तथा शब्दों के स्थान पर “49.2-50.3 एचज्येड” अंक तथा शब्द रखे जाएंगे।

**9. अध्याय 5, खंड 5.4.2 का संशोधन**

अध्याय 5 के खंड 5.4.2 के उपरखंड (क) में “49.0 एचज्येड” अंक तथा शब्द के स्थान पर “49.2 एचज्येड” अंक तथा शब्द रखे जाएंगे।

**10. अध्याय 6, खंड 6.1 का संशोधन**

अध्याय 6 में, खंड 6.1 के उपरखंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा;

“(क) अनुसूचीकरण तथा प्रेषण में विभिन्न प्रादेशिक संघटकों, आरएलडीसी तथा एनएलडीसी के बीच उत्तरदायित्वों का विभाजन।”

**11. अध्याय 6, खंड 6.2 का संशोधन**

अध्याय 6 के खंड 6.2 को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा, अर्थात् :—

**“उद्देश्य**

यह संहिता एनएलडीसी/आरएलडीसी/एसएलडीसी तथा प्रादेशिक इकाईयों के बीच जानकारी देने की पद्धति के दैनिक आधार पर, संबंधित प्रादेशिक इकाईयों के कुल इंजेक्शन/निकासी की अनुसूचीकरण के लिए स्वीकार की जाने वाली प्रक्रियाओं से संबंधित है। प्रत्येक आईएसजीएस द्वारा घोषित क्षमता तथा अन्य प्रादेशिक इकाईयों द्वारा अध्यपेक्षा/निकासी अनुसूची प्रस्तुत करने की प्रक्रिया प्रत्येक आईएसजीएस के लिए प्रेषण अनुसूची तथा प्रत्येक प्रादेशिक इकाई के लिए निकासी अनुसूची तैयार करने के लिए आरएलडीसी को समर्थ बनाने हेतु आशयित है। यह अनुसूचियों से विचलन के लिए तथा रिएक्टिव ऊर्जा कीमत के लिए तंत्र हेतु वाणिज्यिक व्यवस्था के साथ प्रादेशिक इकाईयों को वास्तविक समय प्रेषण/निकासी अनुदेशों तथा अनुसूचीकरण जारी करने की पद्धति के लिए उपबंध करता है। इस अध्याय में अंतर्विष्ट उपबंध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 28 तथा 29 के अधीन आरएलडीसी को प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।”

**12. अध्याय 6, खंड 6.3 का संशोधन**

अध्याय 6 के खंड 6.3 में, प्रथम वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“यह संहिता एनएलडीसी, आरएलडीसी/एसएलडीसी, आईएसजीएस, एराईबी/एराटीयू तथा प्रादेशिक ग्रिड के अन्य फायदाप्राहियों को लागू होगा।”

**13. अध्याय 6, खंड 6.4 का संशोधन**

अध्याय 6 के खंड 6.4 के रूपान् पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

#### “6.4 उत्तरदायित्वों का विभाजन

1. आरएलडीसी केंद्रीय सरकार के संगणनों के स्थानिकाधीन उत्पादन केंद्रों (ऐसे केंद्रों को छोड़कर जहां मेजबान राज्य को पूर्ण शेयर आवंटित किया गया है), अल्ट्रा मेगा ऊर्जा परियोजना, 1000 मेगावाट या उससे अधिक आकार के अन्य उत्पादन केन्द्रों जिसमें मेजबान राज्य से भिन्न राज्य का 50% या उससे अधिक रथायी शेयर है, की अनुसूचीकरण का समन्वय करेंगे। संयंत्र आकार तथा अन्य राज्यों के शेयर के बारे में उपरोक्त मानदंड को पूरा न करने वाले उत्पादन केन्द्र को उस राज्य, जिसमें वे अवस्थित हैं, के एसएलडीसी द्वारा अनुसूचित किया जाएगा। तथापि, केविविआ के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, समीक्षीनता के प्रचालन के कारणों के लिए अपवाद हो सकेंगे।
2. उन उत्पादन केन्द्रों की दशा में, जहां ऊर्जा प्रदाय की संविदा केवल उस राज्य को होती है जिसमें वह अवस्थित है, वहां अनुसूचीकरण, भीटरिंग तथा ऊर्जा लेखांकन अपने-अपने राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा की जाएगी।
3. राज्य भार प्रेषण केन्द्र, जो उत्पादन केन्द्र की अनुसूचीकरण का समन्वय करने के लिए उत्तरदायी है (i) स्टेशन के प्रचालन की वास्तविक समय मानीटरिंग (ii) उपलब्धता घोषणा तथा ज्ञातेश अनुसूची का प्रतिरोक्षण, (iii) स्वर्चिंग अनुदेश (iv) भीटरिंग तथा ऊर्जा लेखांकन, (v) पूर्वाई खातों का जारी किया जाना (vi) यूआई संदाय का संग्रहण/ संवितरण, तथा (vii) डाउटेप्प प्लानिंग, आदि के लिए भी जिम्मेदार होगा।
4. प्रावेशिक ग्रिड लूज ऊर्जा पूल्स (विकेन्ड्रोकरण तथा प्रेषण) के रूप में परिचालित किया जाएगा जिसमें राज्यों को पूर्ण प्रचालनात्मक स्वायत्ता होगी और ऐसे एल डी सी के पास (i) अपने स्वयं के उत्पादन का अनुसूचीकरण/प्रेषण करने (जिसमें उनके सन्तुष्टिहीन अनुज्ञाप्रिधारी का उत्पादन भी सम्मिलित है), (ii) अपने ग्राहकों की मांग को विनियमित करने; (iii) आईएसजीएस से अपनी निकासी का अनुसूचीकरण करने (अपने-अपने राज्य में की अनुमति क्षमता में उनके अंतर्के भीतर); (iv) किरी द्विपक्षीय विनियम की व्यवस्था करने, और (v) निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुलम्ब क्षेत्रीय ग्रिड से अपनी कुल निकासी को विनियमित करने की पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
5. प्रत्येक प्रावेशिक इंजाई की प्रजाती रैद्वानिक नियंत्रण क्षेत्र के रूप में समझी जाएगी। आईएसजीएस से अनुसूचित निकासी के बीजीय संकलन तथा किसी द्विपक्षीय अंतर-विनियम प्रत्येक राज्य की निकासी अनुसूची को प्रदान करेगा तथा इसे द्विपक्षीय अधार पर अद्यारित किया जाएगा। जबकि राज्यों से साधारणतः अपने उत्पादन और/या ग्राहकों को विनियमित करने की आशा की जाएगी जिससे कि उपरोक्त अनुसूची द्विपक्षीय ग्रिड से उनकी वातिलिक निकासी को बनाए रखा जा सके तथा कठोर नियन्त्रण

आड़ापक नहीं है। राज्य अपने स्वविवेक से, निकसी अनुसूची से विचलित हो सकते हैं तथा विचलन अनुज्ञेय सीमा से परे विकृत हो जाने के लिए प्रणाली पैरामीटरों के लिए कारण नहीं बनता है और/या अस्वीकार्य लाइन लोडिंग को प्रेरित नहीं करता है।

6. उपरोक्त लघीलेपन का इस तथ्य की दृष्टि से प्रस्ताव किया गया है कि सभी राज्यों के पास क्षेत्रीय ग्रिड से वास्तविक कुल निकासी को मिनट प्रति मिनट आन लाइन विनियमित करने के लिए सभी अपेक्षित सुविधाएं नहीं हैं। तथापि, कुल निकसी अनुसूची से विचलन की अनुसूचित विनियम (यूआई) तंत्र के माध्यम से पर्याप्त रूप से कीमत तय की जानी होती है।

7. परंतु यह कि राज्य, जब कभी प्रणाली की फ्रिक्वेंसी 49.5 एच ज्येड से निम्न हो जाती है, अपने एसएलडीसी के माध्यम से अपनी-अपनी निकासी अनुसूचियों के भीतर ग्रिड से उनकी कुल निकासी को निर्बंधित करने का हमेशा प्रयास करेंग। जब फ्रिक्वेंसी 49.2 एच ज्येड से नीचे हो जाती है तब अधिक निकासी में कमी करने के लिए संबंधित राज्यों में अपेक्षित लोड शेडिंग की जाएगी।

8. एसएलडीसी/एसटीयू अपने-अपने राज्यों के लिए अग्रिम में योजना के लिए उनको समर्थ बनाने के लिए अत्यकालिक मांग प्राक्कलन के बारे में हमेशा ऐसे आवश्यक प्रयोग करेगा कि वे कैसे ग्रिड से अधिक निकासी किए बिना अपने ग्राहक के भार को कैसे पूरा करेंगे।

9. आईएसजीएसएस, एलडीसी से प्राप्त अध्यपेक्षा के आधार पर आरएलडीसी द्वारा उनको दी गई दैनिक अनुसूचियों के अनुसार ऊर्जा उत्पादन तथा अपने उत्पादन केन्द्रों के पर्याप्त प्रचालन तथा रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा जिससे कि ये केन्द्र बेहतर संभव दीर्घकालिक उपलब्धता और मितव्ययिता की पूर्ति कर सकें।

10. जबकि आईएसजीएस से सामान्य रूप से यह आशा की जाएगी कि वे उनको दी गई दैनिक सलाह अनुसूचियों के अनुसार ऊर्जा का उत्पादन करें तथा कड़ाई से अनुभूचियों का पालन करना आवश्यक नहीं है। राज्यों को अनुज्ञात छूट के आधार पर, आईएसजीएस संयंत्र तथा प्रणाली के हालात पर निर्भर करते हुए दी गई अनुसूचियों से भी विचलन कर सकेगा। विशेषकर वे अभाव की दशा में भी दी गई अनुसूची से परे उत्पादन करने के लिए अनुज्ञात होंगे/प्रोत्साहित करेंगे। तथापि, एक्स-ऊर्जा संयंत्र उत्पादन अनुसूचियों से विचलन की कीमत यू आई तंत्र के माध्यम से पर्याप्त रूप से तय की जाएगी।

11. परंतु यह कि जब फ्रिक्वेंसी 50.3 एच से अधिक है तो वास्तविक कुल इंजेक्शन उस समय के लिए अनुसूचित प्रेषण से अधिक नहीं होगा और, जब फ्रिक्वेंसी 50.3 एच ज्डेड है तब आईएसजीएस (अपने स्वविवेक से) बढ़ी हुई फ्रिक्वेंसी को निर्बंधित करने के लिए आरएलडीसी से सलाह का इंतजार किए बिना फ्रिक्वेंसी को कम कर सकेगा। जब फ्रिक्वेंसी 49.5 एच ज्येड से कम होती है तो राभी आईएसजीएस पर (व्यस्ततम ऊँटूटी करने वालों के स्थिताय) उत्पादन को उस स्तर पर बढ़ाया जाएगा जिस स्तर तक वह आर एल डी शी से सलाह किए बिना कायम रख सकता है।

12. तथापि, उपरोक्त में किसी बात के होते हुए भी, आरएलडीसी आक्रिमिकता अर्थात् लाइन/द्रासंफार्मर की अधिक लोडिंग, असामान्य वोल्टता प्रणाली सुरक्षा को धमकी की दशा में एसएलडीसी/आईएसजीएस/अन्य प्रादेशिक इकाइयों को अपनी निकासी/उत्पादन में दृष्टि करने/कर्मी करने का निदेश दे सकेगा। ऐसे निदेशों पर शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। यदि स्थिति पर तुरंत कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता नहीं है और आर एल डी सी के पास विश्लेषण करने के लिए कुछ समय है जो वह इस बात की जांच करेगा कि क्या ऐसी स्थिति अनुसूचियों से विचलन के कारण उत्पन्न दृष्टि या अल्पकालिक खुली पहुंच के अनुसरण में किसी ऊर्जा के प्रवाह के कारण उत्पन्न हुई है। कोई ऐसी कार्रवाई करने से पूर्व उपरोक्त अनुक्रम में पहले उसे दूर किया जाएगा जिससे प्रारंभिक रूप से दीर्घकालिक ग्राहकों को आई एस जी एस से अनुसूचित प्रदाय प्रभावित होगा।

13. ऐसे उत्पादन तथा पारेषण प्रणाली के सभी आउटजों के लिए, जिनसे प्रादेशिक ग्रिड पर प्रभाव पड़ेगा, सभी संघटक एक दूसरे के साथ समन्वय करेंगे तथा आर एल डी री (सभी अन्य मामलों में) के माध्यम से अग्रिम में पर्याप्त रूप से पूर्वकल्पित आउटेज के लिए तथा ओ सी सी द्वारा पृथक् रूप से तैयार प्रक्रियाओं के अनुसार प्रवालनात्मक समन्वय समिति (ओसीसी) के माध्यम से समन्वय करेगा। विशेषकर, आई एस जी एस उत्पादन और/या आई एस जी एस अंश के निर्बंधन, जो फायदाग्राही पर लगाए जा सकते हैं (और जो एक वाणिज्यिक विविधा हो सकती है) की योजना बेहतर रीति से पूर्ति करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार की जाएगी।

14. प्रादेशिक संघटक आईएसजीएस परियोजनाओं (भारत सरकार द्वारा आबंटन के आधार पर जहां लागू हो), अनुसूचित निकासी पैटर्न, टैरिफ, संदाय निबंधनों, आदि में राज्यों के अंशों की पहचान करने के लिए पृथक संयुक्त/द्विपक्षीय करार करेंगे। ऐसी सभी करार अनुसूची और प्रादेशिक ऊर्जा लेखांकन में विचार किए जाने के लिए संबंधित आरएलडीसी और आरपीसी सचिवालय में फाइल किए जाएंगे। दीर्घकालिक/अल्पकालिक आधार पर अनुसूचित विनिमय के लिए संघटकों के बीच द्विपक्षीय कोई भी करार विनिमय अनुसूची को भी विनिर्दिष्ट करेंगे जिसे आरएलडीसी के पास अग्रिम में सम्यक रूप से फाइल किया जाएंगे।

15. सभी संघटकों तथा अन्य प्रादेशिक इकाइयों को अनुसूचियों से, अर्थात् अन-नुसूचित विनिमय से फ्रिक्वेंसी लिंकड भार प्रेषण और कीमत विचलन की संकल्पना का पालन करना चाहिए। संघटकों, उनके अनुज्ञप्तिधारियों तथा उत्पादन कंपनियों की सभी उत्पादन यूनिटें जब तक आरएलडीसी/एसएलडीसी द्वारा अन्यथा सलाह न दी जाए, एक संभव सीमा तक आर एल डी सी द्वारा जारी किए गए स्थायी फ्रिक्वेंसी लिंकड भार प्रेषण मार्ग दर्शन सिद्धांतों के अनुरार सामान्य रूप से प्रचालित की जानी चाहिए।

16. आईएसजीएस एक्स-ऊर्जा संयंत्र मेगावाट तथा अगले दिन, अर्थात् 0000 घंटे से 2400 घंटे तक के लिए अनुमानित एमडब्ल्यूएच क्षमताओं की अग्रिम घोषणा करेगा। थर्मल स्टेशनों की दशा में, ईधन में कमी के दौरान, न्यूनतम मेगावाट, अधिकतम मेगावाट, एमडब्ल्यूएच क्षमता तथा ईधन कमी की घोषणा को विनिर्दिष्ट करेगा। उत्पादन केंद्र ब्लॉक में संभव रेपिंग अप/रेपिंग

आउन की भी घोषणा करेगे। गैस टर्बाइन उत्पादन केंद्र या रांयुक्त साइकल उत्पादन केंद्र की दशा में, उत्पादन केंद्र यूनिटों की क्षमता एपीएम गैस, आरएलएनजी तथा द्रव ईंधन पर मॉड्यूल की घोषणा करेगा तथा ये पृथकृत अनुसूचित किए जाएंगे।

17. क्षमता की घोषणा करने या पुनरीक्षण करते समय, आईएसजीएस यह सुनिश्चित करेगा कि व्यस्तम घंटों के दौरान घोषित क्षमता अन्य घंटों के दौरान से कम नहीं है। तथापि, इस नियम के अपवाद यूनिटों के अनिवार्य आउटेज के परिणामस्थल पर्याप्त यूनिटों के ट्रिपिंग/रिसिक्रोनाइजेशन की दशा में अनुज्ञात किए जाएंगे।

18. आईएसजीएस के लिए यह आवश्यक होगा कि वह निष्ठापूर्वक संयंत्र क्षमताओं को, अर्थात् उनके बेहतर निर्धारण के अनुसार घोषित करे। यदि यह आशंका है कि वे अपनी घोषित क्षमता के आधार पर वी गई अनुसूचियों से विचलित करने के लिए अनुद्यात संयंत्र क्षमता को जानबूझकर अधिक/कम घोषित करते हैं (और इस प्रकार वे असम्यक् क्षमता प्रभार या अनुसूची से विचलन के लिए भार के रूप में धन कमाते हैं) तो आरएलडीसी आईएसजीएस से आवश्यक बैकअप आकड़ों की रिप्टि के बारे में स्पष्टीकरण मांग सकेगा।

19. सीटीयू वास्तविक कुल एम डब्ल्यू एच विनियम और एमडब्ल्यूए निकासी को अभिलिखित करने के लिए क्षेत्रीय संघटकों या अन्य पहचाने गए स्थानों के बीच सभी अंतर संयोजनों पर विशेष ऊर्जा मीटर लगाएगा। विशेष ऊर्जा मीटरों का संस्थापन, प्रचालन तथा रखरखाव केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का संस्थापन तथा प्रचालन) विनियम, 2006 के अनुसार होगा। सभी संबंधित इकाइयां (जिनके परिसर में विशेष ऊर्जा मीटर लगाए गए हैं) सी टी यू/आर एल डी सी के साथ पूर्ण सहयोग करेगी तथा साप्ताहिक मीटर रीडिंग लेने तथा मंगलवार सायं तक पारेषित करने के लिए आर एल डी सी को आवश्यक सहायता देंगी।

20. आरएलडीसी उपरोक्त मीटर रीडिंग के आधार पर, 15 मिनट-वार प्रत्येक संबंधित प्रादेशिक इकाइयों की वास्तविक कुल इंजेक्शन/ निकासी की संगणना के लिए जिम्मेदार होगा। मीटरों के प्रसंस्कृत आंकड़े के साथ उपरोक्त आंकड़े अन-नुसूचित विनियम खाते तैयार करने तथा जारी करने में समर्थ बनाने के लिए पूर्व रविवार की अर्धरात्रि पर समाप्त होने वाले सात दिन की अवधि के लिए प्रत्येक गुरुवार के दोपहर बाद तक साप्ताहिक आधार पर आरएलडीसी द्वारा आरपीसी सचिवालय को भेजे जाएंगे। आरएलडीसी द्वारा की गई सभी संगणनाएं जांच और सत्यांकित होने के लिए सभी संघटकों हेतु 15 दिनों की अवधि के लिए खुली रहेंगी। यदि किसी गलती/उपरोक्त का पता लगता है तो आरएलडीसी तत्काल पूरी जांच करेगा और त्रुटियों का दूर करेगा।

21. आईएसजीएस, जब कभी उस प्रदेश प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जिसमें आईएसजीएस अवस्थित है, कहा जाए, अपने उत्पादन केन्द्र की घोषित क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए अपेक्षित होगा। उत्पादन केन्द्र के घोषित क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल रहने की दशा में आईएसजीएस को शोध्य क्षमता प्रभारों में शास्ति के रूप में कटौती की जाएगी।

22. दिन में किसी अवधि/ब्लाक के लिए पहले मिथ्या घोषणा के लिए शास्ति की मात्रा दो दिन के लिए नियत प्रभारों के तत्स्थानी प्रभार के बराबर होगी। दूसरी बार मिथ्या घोषणा के लिए, शास्ति चार दिन के लिए नियत प्रभारों के समतुल्य होगी तथा पश्चात् वर्ती मिथ्या घोषणा के लिए शास्ति ज्यामितीय अनुक्रम में गुणांकित की जाएगी।

23. उत्पादन केन्द्र की प्रचालन लॉग तुक प्रादेशिक ऊर्जा समिति द्वारा पुनर्विलोकन करने के लिए उपलब्ध होगी। इस पुस्तिका में मशीन के प्रचालन तथा रखरखाव का अभिलेख रखा जाएगा।

24. 15 मिनट के किसी समय-ब्लाक के घोषित क्षमता के 105% तक तथा दिन में औसत घोषित क्षमता के औसतन 101% तक हाइड्रो उत्पादन से भिन्न उत्पादन केंद्रों से किसी भी उत्पादन को गेमिंग नहीं समझा जाएगा तथा उत्पादक अनुसूचित उत्पादन से ऊपर ऐसे अधिक उत्पादन के लिए यूआई प्रभारों का हकदार होगा।

25. विहित समय के परे हाइड्रो उत्पादन से भिन्न उत्पादन केंद्रों से किसी भी उत्पादन के लिए प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र जांच करेगा जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यहाँ कोई गेमिंग नहीं है, उत्पादन केंद्र अन-नुसूचित विनिमय प्रभारों की वसूली के लिए केवल तब हकदार होगा यदि जांच से यह सुरक्षित हो जाता है कि कोई गेमिंग नहीं है। यदि प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा गेमिंग पाई जाती है तो ऐसी अतिरिक्त उत्पादन के कारण उत्पादन केन्द्र को शोध्य तत्स्थानी यूआई प्रभारों में शून्य तक कमी की जाएगी तथा रकम का समायोजन उत्पादन केन्द्र में फायदाग्राहियों के यूआई खाते में उनकी क्षमता शेयर के अनुपात में किया जाएगा।

26. हाइड्रो उत्पादन केंद्रों से यह प्रत्याशा की जाती है ग्रिड फ्रिक्वेंसी परिवर्तनों तथा प्रवाह उतार-चढ़ाव में अपना प्रत्युत्तर दें। हाइड्रो उत्पादन केंद्र दी.गई अनुसूची में गेमिंग में सम्मिलित हुए बिना तथा ग्रिड अवरोधों के कारण परिवर्तन करने के लिए रखतंत्र होंगे तथा हाइड्रो उत्पादन केंद्र तथा संपूर्ण दिन के लिए अनुसूचित ऊर्जा (एक्स-बस) द्वारा वास्तविक कुल ऊर्जा प्रलाय के बीच अंतर के लिए प्रतिभार संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र द्वारा चौथे दिन (दिन जमा 3) के डे-एहेड अनुसूची में से दिया जाएगा। यदि प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र द्वारा गेमिंग पाई जाती है तो ऐसे अतिरिक्त उत्पादन के कारण उत्पादन कंपनी को संदेय तत्स्थानी अनुसूचित विनिमय प्रभारों में शून्य तक की कमी की जाएगी तथा रकम को फायदाग्राहियों के यूआई पूल खाते में उत्पादन केंद्र में उनकी क्षमता हिरसेदारी के अनुपात में समायोजित किया जाएगा।

27. आर एल डी री जांच के लिए जारी किए जाने वाले प्रेषण तथा कुल निकासी अनुसूचियों से वास्तविक रूप से विचलन का आवधिक रूप से पुनर्विलोकन करेगा याहे कोई भी रांधटक अनुदित कार्य या दुरभिसंमिक्ष में संलिप्त होता है। यदि ऐसे किसी कार्य का पता चलता है तो मामले को और अन्वेषण/फारवाई के लिए सदर्य-सचिव, आरपीसी को भेजा जाएगा।

28. एनएलडीसी प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों के समन्वय से प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड मानकों तथा केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड कोड के अनुसार अन्तर-प्रादेशिक लिंकों पर विद्युत अनुसूचीकरण तथा प्रेषण के लिए जिम्मेदार होगा। एनएलडीसी ऊर्जा के अन्तर-प्रादेशिक ऊर्जा विनियम के ऊर्जा लेखांकन के लिए प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र के साथ समन्वय करेगा। एनएलडीसी ऊर्जा के ट्रांस-नेशनल विनियम के लिए समन्वय करेगा।

29. एनएलडीसी अन्तर-प्रादेशिक पावर एक्सचेंजों की अनुसूचीकरण, उपलब्ध अंतरण क्षमता की संगणना तथा अन्य देशों के साथ देश के पावर एक्सचेंजों के लिए एक प्रक्रिया विकसित करेगा जिसमें अन्तर-प्रादेशिक एक्सचेंजों के लिए अनुसूचीकरण तथा समन्वय, प्रादेशिक सीमाओं के पार आबंटन, अनुरूपीकरण तथा एचवीडीसी सेटिंग जिम्मेदारी, आदि भी सम्मिलित है।

30. यदि उन राज्यों, जिनमें आईएसजीएस अवस्थित है, का उस आई एस जी एस में प्रमुख शेयर है तो संबंधित पक्षकार राज्यों के भार प्रेषण केन्द्रों को आई एस जी एस के अनुसूचीकरण करने की जिम्मेदारी को समनुदेशित करने के लिए परस्पर करार (प्रचालनात्मक सुविधा के लिए) कर सकेंगे। ऐसे मामलों में, संबंधित आर एल डी सी की भूमिका अपने-अपने राज्यों की कुल निकासी अनुसूचियों का अवधारण करते समय इस आई एस जी एस के कारण ऊर्जा के अन्तर-राज्यिक विनियम के लिए अनुसूची पर विचार करने हेतु सीमित होगा।

#### 14. अध्याय 6, खंड 6.5 का संशोधन

अध्याय 6 के खंड 6.5 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :

**“6.5 अनुसूचीकरण तथा प्रेषण प्रक्रिया (केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्तर-राज्यिक प्रेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 के उपबंधों के साथ पढ़ा जाएं)**

1. ऐसे सभी अंतर-राज्यिक उत्पादन केन्द्रों (आईएसजीएस) जिनका आउटपुट एक से अधिक राज्यों में आबंटित/संविदागत बांदा गया है, को सम्पूर्ण रूप से सूचीबद्ध किया जाएगा। केन्द्र क्षमता तथा विभिन्न फायदाग्रहियों के आबंटित/राजियागत शेयर भी सूचीबद्ध किए जाएंगे।

2. प्रत्येक राज्य ऐसे सभी केन्द्रों के लिए (दिन के लिए अनुमानित एक्स ऊर्जा संयंत्र एम डब्ल्यू क्षमता) X (केन्द्र की क्षमता में राज्यों के अंश) तक मेगावाट प्रेषण के लिए हकदार होंगे। हाइड्रो विद्युत केन्द्रों की दशा में, (ट्रिप के लिए एम डब्ल्यू एवं उत्पादन क्षमता) X (केन्द्रों की क्षमता में राज्यों का अंश) के बराबर दैनिक एम डब्ल्यू एवं प्रेषण तक भी सीमित होंगे।

3. प्रत्येक दिन के 9 बजे तक, आईएसजीएस अगले दिन अर्थात् आगामी दिन के 0000 बजे से 2400 बजे तक के लिए संबंधित आर एल डी सी को रेटेशनवार एक्स ऊर्जा संयंत्र मेणात्मक और अनुमानित एवं डब्ल्यू एवं क्षमता की रक्काह देंगे।

4. आईएसजीएस की अनुमानित क्षमताओं की उपरोक्त जनकारी और प्रत्येक राज्य के द्वारा नी एप्लिक्यू और एमट्यूप्यून विद्युत विनियम के लिए प्रत्येक दिन आर एल डी सा द्वारा अनुमानित किया जाएगा तथा 10 बजे तक राज्य फायदाग्रहियों को इसके संदर्भ में सलाह दी

जाएगी। एस एल डी सी इसका अपने अनुमतिग्रात भार पैटर्न और अपनी स्वयं की उत्पादन क्षमता जिसमें द्विपक्षीय आदान प्रदान भी सम्मिलित है, का पुनर्विलोकन करेंगे तथा आर एल डी सी को प्रत्येक के आई एस जी एस के लिए उनकी निकासी अनुसूची के बारे में 3 बजे सायं तक सलाह देंगे जिसमें वे द्विपक्षीय आदान प्रदान, अनुमोदित अल्पकालिक द्विपक्षीय आदान-प्रदान तथा द्विपक्षीय विनिमय के आगे के दिन के लिए निर्बाध पहुंच तथा अनुसूचीकरण हेतु संयुक्त अनुरोध करेंगे।

#### 5. सामूहिक संव्यवहार का अनुसूचीकरण

(i) राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र पावर एक्सचेंजों को इंटरफेसों/ नियंत्रण क्षेत्रों/ प्रादेशिक पारेषण प्रणाली की सूची प्रदान करेगा जिसपर एनएलडीसी को पावर एक्सचेंजों द्वारा अवाधित प्रवाहों की सलाह दिए जाने की अपेक्षा की जाती है। पावर एक्सचेंज एनएलडीसी द्वारा यथा सूचित विभिन्न इंटरफेसों/ नियंत्रण क्षेत्रों/ प्रादेशिक पारेषण प्रणाली पर विनिमय को प्रस्तुत करेगा। पावर एक्सचेंजों द्वारा एक्सचेंज प्रत्येक प्रदेश के कुल निकासी तथा व्यादेश की सूचना भी देंगे। पावर एक्सचेंजों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, एनएलडीसी संकुचन की जांच करेगा। संकुचन की दशा में, एनएलडीसी संकुचन की अवधि तथा अपने-अपने पावर एक्सचेंज के माध्यम से सामूहिक संव्यवहार की अनुसूचीकरण हेतु संकुचन की अवधि के दौरान इंटरफेस/नियंत्रण क्षेत्र/पारेषण प्रणाली पर सामूहिक संव्यवहार के अनुसूचीकरण के लिए उपलब्ध सीमा के बारे में एक्सचेंजों को सूचित करेगा। अपने-अपने पावर एक्सचेंज के लिए सामूहिक संव्यवहार की अनुसूचीकरण के लिए सीमा के विविआ के निर्देशों के अनुसार तथ की जाएगी। पावर एक्सचेंज द्वारा प्रस्तुत सामूहिक संव्यवहार की अनुसूचीकरण के लिए आवेदन के आधार पर एनएलडीसी विभिन्न आरएलडीसी को अंतिम जांच तथा उन्हें अपनी अनुसूचियों में डालने के लिए बौरे (सामूहिक संव्यवहार की अनुसूचीकरण अनुरोध) भेजेगा। आरएलडीसी द्वारा पुष्टि प्राप्त होने के पश्चात् एनएलडीसी पावर एक्सचेंजों को सामूहिक संव्यवहार की अनुसूचीकरण की स्वीकृति के बारे में सूचित करेगा। आरएलडीसी प्रादेशिक इकाइयों की इनकी अपनी-अपनी सीमाओं पर सामूहिक संव्यवहार की अनुसूची करेगा।

(ii) राज्य उपयोगिताओं/अन्तराराज्यिक इकाइयों के लिए व्यस्थिक संव्यवहारों को अपने-अपने आरएलडीसी द्वारा अनुसूचित किया जाएगा। एनएलडीसी से स्वीकृति की प्राप्ति के पश्चात् पावर एक्सचेंज 6 बजे तक अपने-अपने एनएलडीसी को राज्य के भीतर व्यादेश के प्रत्येक स्थान तथा निकासी के प्रत्येक स्थान का विस्तृत व्यौरा भेजेंगे। पावर एक्सचेंज संव्यवहारों की अनुसूचीकरण के लिए एसएलडीसी के साथ आवश्यक समन्वय सुनिश्चित करेंगे।

(iii) उपरोक्त गतिविधियों के लिए समय-सीमा सीटीयू तथा सरकारी वर्गों या आरएलडीसी और एनएलडीसी को प्रवालित करने वाले प्राधिकरण वा निगम द्वारा जारी सामूहिक संव्यवहार की अनुसूची की प्रक्रिया के अनुसार होगी।

6. एरएलडीसी, आरएलडीसी को राज्यी अनुदेश भी देने जिससे कि आरएलडीसी रद्द राज्यों के लिए व्यहतर निकासी अनुसूचियों का निश्चियन कर रहे।

7. प्रत्येक दिन के 6 बजे तक, आरएलडीसी, —

(i) अगले दिन के लिए विभिन्न घंटों हेतु मेगावाट में प्रत्येक आई एस जी एस को एक्स ऊर्जा संयंत्र “प्रेषण अनुसूची” के बारे में बताएगा। सभी फायदाग्राहियों द्वारा दी गई एक्स ऊर्जा संयंत्र निकासी अनुसूची की अंतिम सलाह एक्स ऊर्जा संयंत्र ऊर्जा केन्द्र-वार प्रेषण अनुसूची को बताएगी।

(ii) अगले दिन के लिए विभिन्न समय ब्लॉकों के लिए मेगावाट में प्रत्येक प्रादेशिक इकाई के लिए “कुल निकासी अनुसूची” को बताएगा। पारेषण हानियों में कटौती करने के पश्चात् (अनुमानित) सभी आई एस जी एस के लिए रस्टेशन वार एक्स-ऊर्जा संयंत्र निकासी अनुसूची तथा द्विपक्षीय अंतर-विनियम के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय ग्रिड की निकासी अनुसूची के बारे में बताएंगे।

8. हाइड्रो इलैक्ट्रिक उत्पादन केन्द्रों से आशा की जाती है कि वे ग्रिड क्रिक्वेंसी परिवर्तन तथा प्रवाह उत्तार-चढ़ाव के बारे में बताएं। अतः, वे दी गई अनुसूची में विचलन से मुक्त होंगे तथा गेमिंग में समिलित नहीं होंगे तथा ग्रिड को बाधित करने के कारण नहीं बर्खेंगे। जिसके परिणामस्वरूप, संपूर्ण दिन हाइड्रो उत्पादन केन्द्र द्वारा प्रदाय की कुल वास्तविक ऊर्जा में उस दिन के लिए अनुसूची ऊर्जा (एक्स-बस) से अन्तर नहीं होगा। चौथे दिन (दिन प्लस तीन) के लिए आगे के दिन की अनुसूची में संबंधित भार प्रेषण केन्द्र द्वारा तब प्रतिकर दिया जाएगा।

9. आईएसजीएस द्वारा उत्पादन क्षमता की घोषणा में खिंचाई, पेय जल, औद्योगिक, पर्यावरणीय प्रतिकलों आदि के कारण प्रयुक्त जल पर निबंधनों के कारण विनिर्दिष्ट समय-अवधि, यदि कोई हो, के दौरान उत्पादन पर परिसीमा को भी समिलित किया जाएगा।

10. संबंधित भार प्रेषण केन्द्र आवधिक रूप से यह जांच करेगा कि उत्पादन केन्द्र वास्तविक रूप से क्षमता तथा ऊर्जा को घोषणा कर रहा है तथा यू आई के माध्यम से अधिक धन कमाने के आशय से घोषणा में छलकपट नहीं कर रहा है।

11. पूर्णतः नदी से चलने वाले ऊर्जा केन्द्रों के उत्पादन में फेरफआर से केन्द्रों से रिसाव होगा और इन्हें अवश्य चलने वाले केन्द्रों के रूप में माना जाएगा।

12. तालाब सहित नदी से चलने वाले केन्द्र तथा भंडारण आकार के ऊर्जा केन्द्र प्रणाली पीक मांग को पूरा करने के लिए व्यस्ततम घंटों के दौरान प्रचालित करने हेतु डिजाइन किए जाते हैं। दिन के लिए घोषित केन्द्र की अधिकतम क्षमता संरक्षित क्षमता, जिसमें अधिक भार क्षमता भी है, माइनस गैन खपत तथा पारेषण हानियों, जलाशय स्तर के लिए परिशोधित, के बराबर होगी। प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र यह सुनिश्चित करेंगे कि केन्द्रों के ऐसे प्रकार की उत्पादन अनुसूचियों को तैयार किया जाता है तथा केन्द्र विनिर्दिष्ट प्रणाली अपेक्षा/ अवरोधों के सिवाय उपलब्ध हाइड्रो ऊर्जा के अधिकतम उपयोग के लिए प्रेषित करेंगे।

13. हाइड्रो उत्पादन केन्द्र के लिए संबंधित भार प्रेषण केन्द्र द्वारा तैयार अनुसूची सामान्यतः ऐसी होगी कि उस दिन के लिए अनुसूचित ऊर्जा अनुमानित/योजनाबद्ध जल उपलब्धता/छोड़े गए

जल के आधार पर उत्पादन केन्द्र द्वारा यथाधोषित उस दिन पर उपलब्ध होने वाले कुल ऊर्जा (एक्स बस) के बराबर होगी। यह भी आशा की जाती है कि उस दिन को उत्पादन केन्द्र द्वारा वास्तविक रूप से प्रदाय कुल ऊर्जा धोषित कुल ऊर्जा के बराबर होगी। जिससे कि छोड़े गए जल की अपेक्षा पूरी हो सके। 15 मिनटवार के दौरान, अनुसूची से फेरफार को अननुसूचित अन्तर-विनिमय के रूप में माना जाएगा, तथा संपूर्ण दिन के लिए कुल ऊर्जा फेरफार की गणना नीचे दिए गए दृष्टांत के लिए अतिरिक्त रूप से की जाएगी :--

### दृष्टांत

— माना सभी एक्स-बस, एम डब्ल्यूएच में दिन-1 के लिए अनुमानित/संभावित कुल ऊर्जा (एक्स-बस) ई-1 है, अनुसूचित ऊर्जा इस 1 है तथा वास्तविक कुल ऊर्जा (मीटरित) ए-1 है। उत्पादन द्वारा यथाधोषित दिन 4 के लिए संभावित ऊर्जा उपलब्धता ई 4 है। तब, दिन 4 के लिए अनुसूची ऐसे निकाली जाएगी कि दिन 4 के लिए अनुसूचित ऊर्जा निम्नलिखित होगी :--

एस 4=ई 4+ (ए1-ई1),

इसी प्रकार, एस 5=ई 4+ (ए2-ई2)

एस6=ई6+ (ए3-ई3)

एस7=ई7+ (ए4-ई4) और उससे आगे।

14. जब आईएसजीएस के लिए उपरोक्त दैनिक प्रेषण अनुसूचियों को अंतिम रूप देते समय, आर एल डी सी यह रुनिश्चित करेगा कि वह प्रचालनात्मक रूप से युक्तियुक्त है, विशेषकर, अनियंत्रित घटती/बढ़ती दरों तथा अधिकतम तथा न्यूनतम उत्पादन केन्द्रों के बीच अनुपात के अनुसार है। 200 मेगावाट प्रति घंटे की अनियंत्रित दर आईएसजीएस और प्रादेशिक संघटकों (उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 50 मेगावाट) के लिए साधारतः स्वीकार्य होनी चाहिए सिवाय उन हाइड्रो विद्युत उत्पादन केन्द्रों के जो तीव्र दर पर अनियंत्रित बढ़ती/घटती दर के लिए समर्थ हो सकेंगे।

15. एसएलडीसी/आईएसजीएस स्टेशन-वार निकासी अनुसूची तथा अनुमानित क्षमताओं, यदि कोई हों, में किए जाने वाले किन्हीं उपांतरणों/ परिवर्तनों के बारे में आर एल डी सी को 10 बजे सार्व तक सूचित करेंगे।

16. उपरोक्त निकासी तथा प्रेषण अनुसूचियों को अंतिम रूप देते समय, आर एल डी सी यह भी जांच करेगा कि ऊर्जा प्रवाह के परिणामस्वरूप किसी पारेषण अवरोधों में वृद्धि नहीं हुई है। यदि किसी अवरोध का पता चलता है तो आर एल डी सी संबंधित संघटकों को सूचना देते हुए अपेक्षित सीमा तक अनुसूचियों को संतुलित करेगी। ऊर्जा की अनुसूचित मात्रा में किसी भी परिवर्तन को, जो बहुत तेजी से होता है या अस्वीकार्य वृहद उपायों में सम्मिलित होता है, अर एल डी सी उपयुक्त रैम्प में संपरिवर्तित कर सकेगा।

17. विनिमय 6.5 (20) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यूनिट के प्रबलित आउटेज की दशा में, आर एल डी सी पुनरीक्षित घोषित क्षमता के आधार पर अनुसूचियों को पुनरीक्षित करेगा। पुनरीक्षित घोषित क्षमता और पुनरीक्षित अनुसूचियां उस समय ब्लाक को जिसमें आईएसजीएस द्वारा पुनरीक्षण किए जाने की एक बार सलाह दी जाती है, गणना में लेते हुए चौथे समय ब्लाक से प्रभावी हो जाएंगी।

18. केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता या कोई अन्य पारेषण अनुज्ञाप्तिधारी, जो उत्पादन में आवश्यक कमी करने के लिए अंतर्राज्यिक पारेषण (आर एल डी सी द्वारा यथा प्रभागित) में अंतर्वलित हों, के स्थामित्वाधीन किसी पारेषण प्रणाली, सहबद्ध स्विचयार्ड और उपकेन्द्रों में किसी अवरोध, आउटेज, अराफलता तथा परिसीमा के कारण ऊर्जा के निकास में अवरोध की दशा में, आर एल डी सी अनुसूचियों को पुनरीक्षित करेगा जो ऐसे समय ब्लाक, जिसमें ऊर्जा के निकास में अवरोध पहले बारी उत्पन्न हुए हों, की गणना करते हुए चौथे समय ब्लाक से प्रभावी हो जाएंगे। और ऐसे घटना के पहले, दूसरे तथा तीसरे समय ब्लाक के दौरान आईएसजीएस का अनुसूचित उत्पादन वास्तविक उत्पादन के बराबर किए जाने के लिए पुनरीक्षित किया गया समझा जाएगा और फायदाग्राहियों की अनुसूचित निकासी को उनकी वास्तविक निकासी के बराबर किए जाने के लिए पुनरीक्षित किया गया समझा जाएगा।

19. किसी ग्रिड बाधा की दशा में, सभी आईएसजीएस का अनुसूचित उत्पादन तथा सभी फायदाग्राहियों की अनुसूचित निकासी ग्रिड बाधाओं द्वारा प्रभावित सभी समय ब्लाकों के लिए उनके वास्तविक उत्पादन/निकासी के बराबर किए जाने के लिए पुनरीक्षित की गई समझी जाएंगी। ग्रिड बाधा तथा उसकी अवधि का प्रमाणन आरएलडीसी द्वारा किया जाएगा।

20. आईएसजीएस (हाइड्रो केंद्रों के सिवाय) द्वारा घोषित क्षमता का पुनरीक्षण तथा दिन की शेष अवधि के लिए फायदाग्राहियों द्वारा अध्ययेक्षा अग्रिम सूचना के साथ अनुज्ञात की जाएंगी। ऐसे मामलों में पुनरीक्षित अनुसूचियां/घोषित क्षमताएं उस समय ब्लाक, जिसमें आरएलडीसी में पुनरीक्षण करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ, को गणना में लेते हुए, छठे समय ब्लाक से प्रभावी हों जाएंगी :

परंतु यह कि हाइड्रो उत्पादन केंद्रों पर आधारित नदी से चलने वाले (आरओआर) तथा तालाब की दशा में, आरएलडीसी केवल एक पुनरीक्षण अनुज्ञात कर सकेगा, यदि दिछली घोषणा की तुलना में दिन के लिए प्रत्याशित ऊर्जा एमडब्ल्यूएच में बहुत बड़ा अंतर हो।

21. यदि किसी समय बिंदु पर, आरएलडीसी यह संप्रेक्षण करते हैं कि बेहतर प्रणाली प्रचालन के हित में अनुसूचियों का पुनरीक्षण किए जाने की आवश्यकता है तो वह स्वयं ऐसा कर सकेगा और ऐसे मामलों में, पुनरीक्षित अनुसूचियां उस समय ब्लाक, जिसमें आरएलडीसी द्वारा एक बार अनुसूची को पुनरीक्षित किया गया है, को गणना में लेते हुए, चौथे समय ब्लाक से प्रभावी हों जाएंगी।

22. तुच्छ पुनरीक्षण को हतोत्साहित करने के लिए आरएलडीसी अपने एकमात्र विवेक से, पूर्व अनुसूची/क्षमता के दो प्रतिशत से अन्यून अनुसूची/क्षमताएं प्रभारों को स्वीकार करने से इंकार कर सकेगा।
23. प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन (दैनिक अनुसूचीकरण) में आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए प्रक्रिया भी दिर्घित करेगा।
24. प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी/ पुनरीक्षित उत्पादन अनुसूचियां तथा निकासी अनुसूचियां सफलतापूर्वक सूचना देने के बाबजूद भी निर्दिष्ट समय-ब्लाक से प्रभावी हो जाएंगी।
25. अनुसूचित उत्पादन के किसी पुनरीक्षण के लिए, जिसमें समझा गया पोस्ट फैक्टो पुनरीक्षण भी सम्मिलित है, फायदाग्राहियों की अनुसूचित निकासी के तत्थानी पुनरीक्षण किया जाएगा।
26. समय-कारक को ध्यान में रखते हुए अनुसूचियों में परिवर्तन के बारे में संसूचना अभिलिखित करने के लिए प्रक्रिया केन्द्रीय परेषण उपयोगिता द्वारा तैयार की जाएगी।
27. प्रचालन दिन के 24 घंटे की समाप्ति के पश्चात, दिन के दौरान अंतिम रूप से लागू अनुसूची (उत्पादन केन्द्रों को प्रेषण अनुसूची में तथा राज्यों की निकासी अनुसूची में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, आरएलडीसी द्वारा जारी की जाएगी। ये अनुसूचियां वाणिज्यिक लेखांकन के आधार पर होंगी। प्रत्येक आईएसजीएस के लिए औसत एक्स-बस क्षमता को आर एल डी सी की सलाह के आधार पर तय किया जाएगा।
28. पावर एक्सचेंजों के माध्यम से सामूहिक संव्यवहारों में सामान्यतः अल्पकालिक द्विपक्षीय संव्यवहारों के पश्चात् वर्ती कटौती की जाएगी।
29. आरएलडीसी प्रादेशिक इकाइयों को सभी पर संव्यवहार में कटौती करेंगे। एसएलडीसी कटौती को कार्यान्वयित करने के लिए अन्तरा-राजिक इकाइयों की आंतरिक कटौती को सम्मिलित करेगा।
30. आरएलडीसी सभी उपरोक्त जानकारी, अर्थात् उत्पादन केन्द्रों द्वारा केन्द्रवार अनुमानित एक्स ऊर्जा संयंत्र क्षमता सलाह, प्रादेशिक इकाईयों द्वारा विवेचित निकासी अनुसूचियों, आर एल डी सी द्वारा जारी सभी अनुसूचियों तथा उपरोक्त के सभी पुनरीक्षणों/अद्यतनों का प्रलेखन करेगा।
31. आरएलडीसी द्वारा जारी अनुसूचीकरण तथा अंतिम अनुसूचियों की प्रक्रिया किसी जांच/सत्यापन के लिए 5 दिनों के लिए सभी रांघटकों तथा अन्य प्रादेशिक इकाइयों द्वारा रुली रहेगी। यदि किसी त्रुटि/लोप का पता लगता है तो आरएलडीसी तत्काल उसकी पूरी जांच करेगा तथा उसे दूर करेगा।

32. आई एस जी एस द्वारा उपलब्धता घोषणा करते समय एक मेगावाट और एक मेगावाट घंटे सभी हकदारियों तथा अध्ययेक्षाओं का प्रस्ताव किया जा सकेगा तथा अनुसूचियों को 0.1 मेगावाट तथा 0.01 एमडब्ल्यूएच के प्रस्ताव के लिए प्रत्येक संव्यवहार के लिए प्रत्येक नियंत्रण क्षेत्र सीमा पर निकटतम दशमलव में पूर्णांकित किया जाएगा ।

#### 15. अध्याय 6, अध्याय 6 में उपाबंध 1, खंड 5 का संशोधन

खंड 5 का चौथा वाक्य निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाएगा,—

“यूआई प्रभारों के संदाय को उच्च पूर्विकता देनी होगी तथा संबंधित संघटक तथा अन्य प्रादेशिक इकाईयां आरएलडीसी द्वारा प्रचालित यूआई इकाई पूल खाते में जारी विवरण के 10 (दस) दिन के भीतर उपदर्शित रकम का संदाय करेंगी, परंतु यह कि आयोग आरएलडीसी से मिन्न किसी भी इकाई को प्रादेशिक यूआई पूल खाते को प्रचालित करने का निदेश दे सकेगा ।”

#### 16. अध्याय 6, अध्याय 6 के उपाबंध 1, खंड 6 का संशोधन

खंड 6 के दूसरे वाक्य को निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाएगा :—

“इन संदायों को उच्च पूर्विकता देनी होगी तथा संबंधित संघटकों तथा अन्य प्रादेशिक इकाईयों को जारी विवरण के दस दिन के भीतर आरएलडीसी द्वारा प्रादेशिक रिएक्टिव प्रचालित यूआई खाते में उपदर्शित रकम का संदाय करेंगे ।”

#### 17. अध्याय 6, उपाबंध 1 का संशोधन

अध्याय 6 के उपाबंध 1 के पैरा 11 के पश्चात् निम्नलिखित उपबंध अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“12. अन्तर-प्रादेशिक एक्सचेंजों में अनुसूचीकरण तथा यूआई लेखांकन के लिए इंटरफेस

1. अन्तर-प्रादेशिक एक्सचेंजों की अनुसूचीकरण, मीटरिंग तथा यूआई लेखांकन के लिए प्रादेशिक सीमाएं :—

- पूर्वी क्षेत्र तथा दक्षिणी, पश्चिमी तथा उत्तरी क्षेत्रों के बीच अंतर-प्रादेशिक लिंकों का पूर्वी क्षेत्र इंड
- पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के बीच अंतर-प्रादेशिक लिंकों का उत्तर-पूर्वी इंड
- दक्षिणी तथा पश्चिमी क्षेत्र के बीच अंतर-प्रादेशिक लिंकों का पश्चिमी क्षेत्र इंड
- उत्तरी तथा पश्चिमी क्षेत्र के बीच अंतर-प्रादेशिक लिंकों का पश्चिमी क्षेत्र इंड

2. लिंक-वार अनुसूचियों (जहां दो प्रदेशों में एक या उससे अधिक अन्तर-संयोजन हैं) में अन्तर-प्रादेशिक अनुसूचियों को पिभाजित करने का प्रयास नहीं किया जाएगा ।

## 18. अध्याय 6 के उपांग 2 का लोप

आईईजीसी के अध्याय 6 के उपांग 2 का लोप किया जाएगा।

## 19. अध्याय 7 का लोप

आईईजीसो के अध्याय 7 का लोप किया जाएगा।

आलोक कुमार, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/2008-असा.]